

Speed post / त्रिव डाक

1/10008/2023

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines, Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOPbZn/7/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 24/05/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
सिंदेसर-खुर्द लैड-जिंक खान,
मेसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
गाँव: सिंदेयसर-खुर्द, तालूका: रैलमगरा,
जिला: राजसमंद (राजस्थान),
पिन: 313211.
(e-mail: anshul.khandelwal@vendanta.co.in)

विषय: राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में स्थित आपकी सिंदेसर-खुर्द लैड-जिंक खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 20/04/2023 and 21/04/2023 by undersign and Sri Dilip Jain, Senior Mining Geologist of this office in presence of your good-self, Shri Srinivas Kammala, Mine Manager and Sri Pankaj Kumar, Geologist of your mine.

| Rule | Status and extent of violation |
|-------|--|
| 11(1) | <p>Mining operations have not been carried out in accordance to the Modified Mining Plan approved on 05/05/2022 to the extent given below for the year 2022-23:</p> <p>(1) Total of 439 Boreholes with 100606 meters of drilling was achieved against the target of 812 Borehole with 95000 meters, resulting shortfall in number of boreholes.</p> <p>(2) The development of 25112 meter was achieved against the target of 30896 meters of development, resulting shortfall in development meters.</p> |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (OIC)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, राजसमंद।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (OIC)
भारतीय खान ब्यूरो